



कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

(वन भवन, सोनारी, जमशेदपुर-831011)

दूरभाष संख्या एवं फ़ैक्स - 0657-2223430, ई-मेल - cf-jamshedpur@gov.in



जहाँ है हरियाली
वहाँ है खुशहाली

पत्रांक :

दिनांक :

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर।

विषय:- मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

- प्रसंग :-
1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 15/2023-1813 दिनांक 19.05.2023
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 554 दिनांक 24.05.2023, ज्ञापांक 581 दिनांक 02.06.2023 एवं पत्रांक 692 दिनांक 06.07.2023
 3. आपका ज्ञापांक 1255 दिनांक 13.07.2023
 4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर का पत्रांक 1872 दिनांक 19.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा विषयगत परियोजना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रस्ताव से संबंधित पृच्छित बिन्दु संख्या I एवं II का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत् है :-

विसंगति	अनुपालन प्रतिवेदन
I. CWLW का मंतव्य।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 581 दिनांक 02.06.2023 (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-01) द्वारा सूचित किया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 646 दिनांक 23.05.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है।
II. प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठको की कार्यवाही के साथ)।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक HCL/ICC/GM/FC/Surda/2023 दिनांक 12.08.2023 (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-02) द्वारा बिन्दु संख्या II के अनुपालन के क्रम में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक वनभूमि (विविध)-02/2022-3065 व०प० राँची दिनांक 08.08.2023 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के आलोक में सूचित किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत सभी प्रस्तावों में स्टेज-I की

स्वीकृति के उपरान्त परन्तु स्टेज-II का प्रस्ताव भेजने के पूर्व FRA प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त दिशा निर्देश के आलोक में प्रस्ताव के संबंध में अनुशंसा हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।



अनु० - यथोक्त।

आपका विश्वासी
ह०/-
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 981

दिनांक 19.08.2023

प्रतिलिपि - प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 692 दिनांक 06.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


19/08/2023
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।


कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर-831001)

दूरभाष संख्या- 0657-2231017, फ़ैक्स-0657-2231017, ई-मेल- dfo-jamshedpur@gov.in



पत्रांक: 1972/जमशेदपुर

दिनांक: 19/08/2023

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
जमशेदपुर।

विषय:- मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

- प्रसंग :-
1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 15/2023-1813 दिनांक 19.05.2023
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 554 दिनांक 24.05.2023, ज्ञापांक 581 दिनांक 02.06.2023 एवं पत्रांक 692 दिनांक 06.07.2023
 3. आपका ज्ञापांक 859 दिनांक 25.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रस्ताव से संबंधित पृच्छित बिन्दु संख्या I एवं II का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित किया जा रहा है :-


विसंगति	अनुपालन प्रतिवेदन
I. CWLW का मंतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 581 दिनांक 02.06.2023 (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-01) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 646 दिनांक 23.05.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है।
II. प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।	प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक HCL/ICC/GM/FC/Surda/2023 दिनांक 12.08.2023 (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-02) द्वारा बिन्दु संख्या II के अनुपालन के क्रम में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक वनभूमि (विविध)-02/2022-3065 व०प० राँची दिनांक 08.08.2023 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के आलोक में प्रतिवेदित किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत सभी प्रस्तावों में स्टेज-1 की

स्वीकृति के उपरान्त परन्तु स्टेज-II का प्रस्ताव भेजने के पूर्व FRA प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त दिशा निर्देश के आलोक में प्रस्ताव के संबंध में अनुशंसा हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव से संबंधित आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु० - यथोक्त।

आपका विश्वासी


वन प्रमंडल पदाधिकारी
जमशेदपुर वन प्रमंडल
जमशेदपुर।

अनु० - ०१



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :

राँची :

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 1813 दिनांक 19.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में विभाग को प्रेषित इस कार्यालय का पत्रांक 390 दिनांक 12.04.2023 की कंडिका- 42 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 646 दिनांक 23.05.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 646 दिनांक 23.05.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 581

दिनांक 02/6/2023

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर / डी०जी०एम०आई०/सी० एण्ड यूनिट हेड, हिस्तुस्तान कॉपर लिमिटेड, इन्डियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, मऊमंडार, पूर्वी सिंहभूम-832103 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.06.2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

D:\AMH\HCL\HCL Surda\Khanan 6552\Me.doc



भारत सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

वन संरक्षण-वनभूमि (विधि)-02/2022-3065 द०प०, राँची, दिनांक- 08-08-2023

सेवाक

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
राँची वन भू-विकास बोर्ड, भारतखण्ड, राँची।

विषय :- वनभूमि अपभोजन प्रस्तावों में प्रयोज्य आगिकरण से FRA, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के संबंध में।

- प्रस्ताव :-
1. विभागीय पत्रांक-वनभूमि-10/2021-3018 दिनांक-22.10.2021
 2. विभागीय आदेश-वनभूमि (विधि)-05/2022-3735 दिनांक-15.12.2022

संदर्भ

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक-वनभूमि-10/2021-3018 दिनांक-22.10.2021

द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत समाहित प्रस्तावों में स्टेज-1 के शर्तों के अनुपालन के संबंध में FRA, 2006 के तहत कार्रवाई पूर्ण करने एवं संबंधी BCCL की सुरक्षा कोलियरी हेतु 16.43 हे० वनभूमि प्रमाण-पत्र की मांग करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

अपभोजन प्रस्ताव से संबंधित संश्लेषण में प्राप्त आदेश के अनुसार FRA प्रमाण-पत्र के बिना पर विधि विभाग के माध्यम से विज्ञान महाविद्यालय का मतलब प्राप्त की गई।

विज्ञान महाविद्यालय का परामर्श निम्नवत् उद्धृत है:-

"From the above documents, it is evident that compliance of FRA, 2006 is not mandatory for sending proposal for approval of Stage-I clearance in Katiya Colliery. However, same is required to be complied with eventually."

इस बीच FC Rules 2022 के आलोक में PSC के गठन संबंधी प्रस्ताव से संबंधी संश्लेषण में प्राप्त आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-3735 दिनांक-15.12.2022 द्वारा पूर्ण की गीति Stage-I/II Clearance के पूर्व FRA का अनुपालन एवं ग्राम राधा की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञान महाविद्यालय के माध्यम से आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1950 के तहत सभी प्रस्तावों में स्टेज-1 की स्वीकृति के उपरांत परन्तु स्टेज-II का अनुपालन करने के पूर्व FRA प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में वनभूमि अपभोजन से संबंधित सभी प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

निर्याता राजन
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

प्रमाण-पत्र (विधि)-02/2022-3065 द०प०, राँची, दिनांक- 08-08-2023

प्रतिनिधि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भारतखण्ड, राँची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।